प्रेषक,

वरिष्ठ कोषाधिकारी,
बुलन्दशहर।

सेवा में,

समस्त आहरण वितरण अधिकारी,
बुलन्दशहर।

पत्रांकः /कोष/2015–16 दिनांक 03.03.2016

विषय :– निदेशक कोषागार निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ के द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में समस्त बिल 22मार्च, 2016 तक कोषागार में भुगतानार्थ प्रस्तुत करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी महोदया, बुलन्दशहर के पत्रांक 1302/ई0पेमेंट/2015–16 दिनांक 26.02.2016 (छायाप्रति संलग्न) तथा निदेशक कोषागार लखनऊ के निर्देश पत्र संख्या 4023/8(66)मिसलेनियस/2015 को0नि0 दिनांक 01मार्च,2016 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस संबंध में निर्देशित किया गया है कि जिन बिलो का बजट शासन/वित्त नियन्त्रक स्तर से दिनांक 22.03.2016 को जारी किया गया हो, उन सभी के बिल तैयार कराकर कोषागार में 22मार्च,2016 तक प्रत्येक दशा में भुगतानार्थ प्रस्तुत कर दिये जाये। 22मार्च,2016 के उपरान्त इस प्रकार के बिलों को विशेष परिस्थितियों में ही कोषागार द्वारा प्राप्त किया जायेगा। इस दशा में आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा लिखित रूप में पूर्ण रूप से कोषागार को संतुष्ट कराना होगा कि बिल भुगतान प्राप्त करने में क्यों विलम्ब हुआ है।

इस संबंध में अवगत कराना है कि **दिनांक 23मार्च, 2016 से 25 मार्च, 2016 तक राजपत्रित अवकाश है, 26 मार्च, 2016 को चतुर्थ शनिवार के कारण बैंक अवकाश है, 27मार्च, 2016 को रविवार होने के क़ारण अन्तिम दिनों में जो स्वीकृतियां शासन से प्राप्त होंगी उनके बिलों के प्रेषण एवं भुगतान का समय केवल 4 दिन रहेगा।**

इस संबंध में अनुरोध है कि यह प्रकरण अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जिस पर सभी आहरण वितरण अधिकारियों का विशेष रूप से व्यक्तिगत ध्यान आकर्षित है। तृतक्रम में यदि कोई आवंटित बजट लापरवाही के कारण व्ययगत होता हैं तो संबंधित आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से स्वयं उत्तरदायी होंगे।

संलग्नक–यथोपरि (2)

वरिष्ठ कोषाधिकारी,
बुलन्दशहर।

पृ0सं0–1328 /कोष/2015–16 तदि्दनांकः 03-03-16

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– निदेशक, कोषागार 1018 जवाहर भवन, लखनऊ।
2– अपर निदेशक, कोषागार मेरठ।
3– जनपद न्यायाधीश, बुलन्दशहर।
4– जिलाधिकारी बुलन्दशहर।
5– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर।
6– मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर।
7– मुख्य चिकित्साधिकारी, बुलन्दशहर।
8– गार्ड फाईल
9– NIC-G.M. इस अनुरोध के साथ कि जनपद की वेब साईट पर अपलोड करने की कृपा करें

[signature] 3/3/16
वरिष्ठ कोषाधिकारी,

ई-मेल

पत्र संख्या /8(66)/ मिसलेनियस/2015/को० नि०,

प्रेषक,

निदेशक,
कोषागार निदेशालय,उ०प्र०,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

E-Mail 02-3-16

दिनांक 01 मार्च, 2016

महोदय,

मार्च का महीना प्रारम्भ हो चुका है । इस तकनीकी व्यवस्था में मार्च 31 दिनों तक ही सीमित होता है । मार्च, 2016 के अंतिम दिनों में अवकाश की संख्या अधिक है, यद्यपि कि समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों के यह संज्ञान में होगा कि मार्च के अंतिम दिनों में कोषागार द्वारा बिल पारण बिलों की संख्या अधिक होने के कारण कठिन होता है, फिर भी आप उनके संज्ञान में यह स्मरण करा दें कि कोषागार में बिल उनके द्वारा शीघ्रता से प्रस्तुत किये जाये और अंतिम दिनों की प्रतीक्षा न की जाय । 22 मार्च, 2016 तक सभी बिलों का प्रेषण अवश्य कर दिया जाय, जिनके बजट/भुगतान की स्वीकृति 22 मार्च तक शासन द्वारा की जा चुकी है । 22 मार्च के उपरांत इस प्रकार के बिलों को विशेष परिस्थितियों में ही प्राप्त किये जाये और आहरण वितरण अधिकारियों को मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी को पूर्ण रूप से संतुष्ट करना होगा कि स्वीकृत प्राप्ति के उपरांत भी बिल प्रेषण में बिलम्ब क्यों किया गया । 23 मार्च, 2016 से 25 मार्च, 2016 तक राजपत्रित अवकाश है, 26 मार्च, 2016 को चतुर्थ शनिवार होने के कारण बैंक बन्द रहेगें एवं 27 मार्च 2016 को रविवार है ।

अतः मार्च के अंतिम दिनों में जो स्वीकृतियॉ शासन से प्राप्त होगी, उनके बिलों के प्रेषण एवं भुगतान का समय कुल 4 दिनों में सिमटकर रह जायेगा । समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों के संज्ञान में यह तथ्य लाते हुये सावधानीपूर्वक बिलों का पारण सुनिश्चित करें ।

भवदीय,
01.03.16
(लोरिक यादव)
निदेशक ।

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
बुलन्दशहर।

सेवा में,

समस्त आहरण वितरण अधिकारी,
जनपद बुलन्दशहर।

पत्रांक– 1302/ई–पेमेंन्ट/2015–16 दिनांक– 26-2-16

विषय– प्रदेश के कोषागारों में ई–पेमेन्ट लागू फलस्वरूप आवश्यक निर्देश।

महोदय,

प्रमुख सचिव वित्त विभाग उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या ए–1–80/दस–2014–10(28)/2014–10 दिनांक 11 फरवरी 2014 के अनुसार ई–पेमेन्ट की व्यवस्था के अन्तर्गत आहरण वितरण अधिकारियों के स्तर पर एवं कोषागार स्तर पर तथा राजकीय व्यवसाय किये जानें वाली बैंक की शाखाओं के स्तर पर कई प्रक्रियात्मक परिवर्तन हो जानें के फलस्वरूप ई–पेमेन्ट में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निम्नवत रहेगी।

आहरण वितरण अधिकारी अपने स्तर से व्यक्तिगत रूप से जॉच कर लें कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में जो बजट आबंटन प्राप्त हुआ है उसके सापेक्ष नियमानुसार सदुपयोग के लिये यथाशीध्र भुगतान हेतु बिल कोषागार में प्रस्तुत कर दें ताकि मार्च माह में "रश ऑफ एक्स्पैन्डीचर" की स्थिति उत्पन्न ना हो । यह ध्यान रहे कि किसी भी दशा में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय त्रैमास में प्राप्त बजट के अवशेष अंश से सम्बन्धित भुगतान कोषागार से 10 मार्च 2016 तक अनिवार्य रुप से प्राप्त कर लिया जायें ।

तत्पश्चात प्राप्त आवशेष बजट हेतु सभी आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार में बिल विलम्बतम दिनांक 25 मार्च 2016 तक अनिवार्य रुप से प्रस्तुत कर दिये जायें जिससे कि प्रस्तुत बिलों की नियमानुसार आवश्यक जाँच के बाद कोषागार द्वारा बिलों की पासिग तथा ई–पेमेन्ट के माध्यम से 31 मार्च 2016 तक भुगतान हेतु ऑथराईजेशन किया जा सके, क्योंकि दिनांक 31 मार्च 2016 तक पारित बिलों का भुगतान ई–पेमेन्ट द्वारा दिनांक 31 मार्च 2016 की रात्रि 8–00 बजे तक ही हो पायेगा। समस्त आहरण वितरण अधिकारी दिनांक 25 मार्च 2016 तक कोषागार को उपलब्ध कराये गये बिलों के सापेक्ष में ट्रॉजेक्शन फाइल को प्रत्येक दशा में विलम्बतम दिनांक 28 मार्च 2016 तक अपलोड एवं एप्रूव करने की कार्यवाही पूर्ण कर उसके सापेक्ष ट्रॉजेक्शन फाइल को प्रत्येक दशा में अनिवार्य रुप से दिनांक 28 मार्च 2016 तक उपलब्ध करा दें जिससे कोषागार द्वारा बिलों का भुगतान ई–पेमेन्ट के माध्यम से दिनांक 31 मार्च 2016 रात्रि 8–00 बजे तक पूर्ण किया जा सके।

सभी आहरण वितरण अधिकारी पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें। सामयिक आहरण के अभाव में किसी धनराशि के व्यपगत होने की दशा में सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी पूर्ण उत्तरदायी होंगे।

25/2/16

ज़िलाधिकारी
बुलन्दशहर

पृ0सं0– 1302 /ई–पेमेंन्ट/2015–16 दिनांक– 26-2-16

प्रतिलिपि– वरिष्ठ कोषाधिकारी बुलन्दशहर को समुचित अनुश्रवण सुनिश्चित करने हेतु।

ज़िलाधिकारी
बुलन्दशहर

O/C